न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O), सिवाना

पीठासीन अधिकारी सुरेन्द्र सिंह खंगारोत आर.ए.एस

प्रकरण संख्या :–180 / 2023

प्रार्थी:–

मोहनदास उर्फ मनीदास पुत्र जेठाराम जाति साद निवासी सेवाली तहसील समदडी जिला बालोतरा

बनाम

विप्रार्थीगण :–

1. ईश्वरदास पुत्र जगदीशदास जाति साद निवासी सेवाली तहसील समदडी जिला बालोतरा
2. पूर्णदास पुत्र जगदीशदास जाति साद निवासी सेवाली तहसील समदडी जिला बालोतरा
3. भीमदास पुत्र जगदीशदास जाति साद निवासी सेवाली तहसील समदडी जिला बालोतरा
4. चन्द्रावती पत्नी जगदीशदास जाति साद निवासी सेवाली तहसील समदडी जिला बालोतरा
5. जानकीदास पुत्र जेठाराम जाति साद निवासी सेवाली तहसील समदडी जिला बालोतरा
6. लीला पत्नी मोहनदास जाति साद निवासी सेवाली तहसील समदडी जिला बालोतरा
7. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारक तहसीलदार समदडी जिला बालोतरा

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 रा.भू.रा.अधिनियम हेतु दुरूस्ती</u>

उपस्थित :–

श्री कपिल श्रीमाली अधिवक्ता प्रार्थी

–:: आदेश ::–

दिनांक :– 30.05.25

प्रार्थी द्वारा उक्त आवेदन पत्र रा.भू.अ. की धारा 136 के तहत पेश किया गया है, संक्षेप में आवेदन के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की खातेदारी की भूमि खसरा संख्या 529 रकबा 8.4225 हैक्टेयर भूमि ग्राम सेवाली तहसील समदडी में अवस्थित है जिस पर प्रार्थी काबिज होकर काश्त करता आ रहा है। प्रार्थी के अन्य समस्त दस्तावेजात यथा आधारकार्ड, मतदाता परिचय पत्र, जनआधार आदि में उसका वास्तविक नाम ''मोहनदास पुत्र जेठाराम'' दर्ज है किन्तु विवादित भूमि के राजस्व रेकर्ड में त्रुटिवश प्रार्थी का नाम ''मनीदास पुत्र जेठाराम ''लिख दिया । इस प्रकार अशुद्ध नाम अंकित होने से प्रार्थी अपनी भूमि के [illegible] हेतु सरकारी सुविधाओं का लाभ नहीं ले पा रहा है। अतः प्रार्थी राजस्व रिकॉर्ड में नाम दुरूस्त करवाने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2025.06.21 13:50:08 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर जरिये नोटिस विप्रार्थी की तलबी की गई। तहसीलदार समदडी के पत्र क्रमांक भू.अ./2024/1623 दिनांक 29.10.2024 द्वारा प्रार्थी के वास्तविक नाम के सम्बन्ध में तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रेषित की गई ।

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

प्रार्थी ने आवेदन पत्र के समर्थन में साक्ष्य दस्तावेज आधारकार्ड, जन–आधार कार्ड, मतदाता परिचय पत्र, पेनकार्ड, ड्राईविंग लाईसेंस पेश किया ।

प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई।

प्रार्थी अधिवक्ता की बहस है कि प्रार्थी का वास्तविक नाम ''मोहनदास पुत्र जेठाराम'' है, किन्तु राजस्व कर्मचारियों द्वारा विवादित भूमि ग्राम सेवाली तहसील समदडी के खसरा संख्या 529 रकबा 8.4225 हैक्टेयर भूमि में प्रार्थी का नाम ''मनीदास पुत्र जेठाराम''त्रुटिवश लिख दिया जाने से राजस्व रिकार्ड में भी इसी अनुसार अशुद्ध प्रविष्टि अंकित हो गयी। इस प्रकार दस्तावेजात एवं राजस्व रिकार्ड में विभिन्नता होने से प्रार्थी अपनी भूमि के स्वतंत्र विकास हेतु सरकारी संस्थाओं से ऋण अनुदान आदि सुविधाएं प्राप्त नहीं कर पा रहा है। अतः प्रार्थी राजस्व रिकार्ड में अपना शुद्ध व सही नाम दर्ज करवाने का अधिकारी है।

हमने प्रार्थी के अधिवक्ता की बहस पर मनन तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य एवं तहसीलदार समदडी द्वारा प्रेषित रिपोर्ट का अवलोकन किया। प्रार्थी के आधारकार्ड,जन–आधार कार्ड,मतदाता परिचय पत्र, पेनकार्ड, ड्राईविंग लाईसेंस आदि दस्तावेजात में प्रार्थी का नाम ''मोहनदास पुत्र जेठाराम'' की तस्दीक होती है,किन्तु विवादित भूमि में प्रार्थी का नाम ''मनीदास पुत्र जेठाराम'' दर्ज करने से राजस्व रिकार्ड में अशुद्ध प्रविष्टि अंकित हो गयी। ऐसी सूरत में प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त किये जाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।

लिहाजा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम सेवाली तहसील समदडी के खसरा संख्या 529 रकबा 8.4225 हैक्टेयर भूमि के राजस्व रिकार्ड में दर्ज में प्रार्थी का नाम ''मनीदास पुत्र जेठाराम'' के स्थान पर ''मोहनदास पुत्र जेठाराम'' दुरूस्त करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार समदडी को तदनुसार दुरूस्ती सुनिश्चित किये जाने हेतु आदेशित किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 30.05.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बालोतरा)

(सुरेन्द्र सिंह खंगारोत)
उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

Signature Not Verified

Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2025.06.21 13:50:08 IST
Reason: SelfAttested